

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
263	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.1987) दि. 14-03-2018 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत शेष रह गये हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदाय किया जाना।	14,354 हितग्राहियों के आवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
264	अतारांकित प्रश्न सं.117 (प्रश्न क्रं.3375) दि. 14-03-2018 (श्री नारायण सिंह पँवार)	राजगढ़ जिले में ग्राम पंचायतवार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोला जाना।	आवेदनों के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। परीक्षण उपरांत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
265	अतारांकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.3501) दि. 14-03-2018 (श्री कैलाश चावला)	नीमच जिले में भावांतर योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के पंजीयन में त्रुटि किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	शेष 85 शिकायतों का समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है परीक्षण उपरांत निर्णय कर एक माह के अंदर कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
266	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.1727) दि. 14-03-2018 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	(1) जिला सतना के धवारी मोहल्ला निवासी श्री रामनरेश पाण्डे द्वारा गंगा गृह निर्माण समिति धवारी के विरुद्ध की गई शिकायत पर संपूर्ण कार्यवाही कर विशेष टीम बनाकर तीन माह में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना । (2) गंगा गृह निर्माण समिति धवारी, जिला सतना के कर्ता-धर्ताओं को तीन माह में जेल भेजा जाना ।	(1) इस प्रकरण में विलंब हुआ है मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आज इस बात के निर्देश जारी कर रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही करके हम इसके लिए एक विशेष टीम बनाएंगे और तीन माह के अंदर हम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर देंगे । (2) माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीने के अंदर जेल भेज देंगे ।		
267	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.1783) दि. 14-03-2018 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले के विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर अंतर्गत रिंगनौद चौकी सरदारपुर एवं राजगढ तथा तिरला चौकी में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाना ।	वहां पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी ।		
268	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.68 (प्रश्न क्रं.2443) दि. 14-03-2018 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	जिला मुरैना के जौरा अंतर्गत दिनांक 19.11.2017 को पारित धारा 144 के आदेश का श्री महेश दत्त मिश्रा द्वारा उल्लंघन किए जाने के संबंध में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	(1) अनुविभागीय दण्डाधिकारी जौरा द्वारा धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 20.11.2017 को थाना प्रभारी जौरा को लेख किया गया। समस्त घटनाक्रम की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना के द्वारा जाँच कराई जा रही है। (2) समस्त घटनाक्रम की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना से कराई जा रही है। जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।		
269	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.2520) दि. 14-03-2018 (श्री कल्याण सिंह ठाकुर)	जिला विदिशा की सी-1 ऑफ क्राइम यूनिट (FSL) में फोरेंसिक विशेषज्ञ के रिक्त पद की पूर्ति की जाना ।	जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
270	अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.2746) दि. 14-03-2018 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	जिला छिन्दवाड़ा में वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 में माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायत पत्रों का जांच उपरांत निराकरण किया जाना ।	05 शिकायतें, जो वर्ष 2018 की है, इनकी जाँच की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

जेल विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
271	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्रं.2064) दि. 14-03-2018 (श्रीमती नंदनी मरावी)	केन्द्रीय जेल जबलपुर में दिनांक 15.01.2016 को हुई कैदी सीता राम राव की हत्या में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
272	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.2418) दि. 14-03-2018 (डॉ. योगेन्द्र निर्मल)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की केन्टीन के ठेकेदार मेसर्स रॉयल केटर्स एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच हेतु गठित समिति के निर्णय से माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराया जाना ।	मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ. प्रथम दृष्टया इस संबंध में कुछ अनियमितता सामने आई थी विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 1.2.2018 को एक जांच समिति का गठन कर दिया है. हम अतिशीघ्र समिति का निर्णय लेकर विधायक जी को भी अवगत करा देंगे ।		
273	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.329) दि. 14-03-2018 (श्री कुँवरजी कोठार)	जिला राजगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर के विकासखण्ड सारंगपुर में 04 ट्रेड से आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना ।	(1) शासन की नीति के अनुरूप जो अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य ब्लॉक आईटीआई विहीन हैं, उसमें सारंगपुर है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भी है, अभी हमने नवीन 29 आईटीआई प्रस्तावित की हैं उसमें सारंगपुर का नाम सम्मिलित है । (2) हम 4 ट्रेड से आईटीआई की शुरुआत करते हैं, तो इसमें भी 4 ट्रेड से आईटीआई प्रारंभ की जाएगी ।		
274	अतारांकित प्रश्न सं.160 (प्रश्न क्रं.3895) दि. 14-03-2018 (श्री जितू पटवारी)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री एस.के.जैन को प्रथम दृष्टया सिविल सेवा अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	विभागीय आदेश दिनांक 23.12.2017 द्वारा श्री एस.के. जैन, कुलसचिव, रागांप्रोवि, भोपाल के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
275	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.455) दि. 14-03-2018 (श्री आरिफ अकील)	(1) पुराने भोपाल शहर में अमृत योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना । (2) विधान सभा क्षेत्र भोपाल उत्तर में अमृत योजना हेतु व्यय किए 210 करोड़ रूपए में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।	(1) वह काम ऐसा है कि जल्दी से जल्दी करेंगे । (2) माननीय सदस्य ने समिति से जांच की मांग की है तो हम एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर के इसकी जांच करा लेंगे । (3) अतिशीघ्र ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
276	मांग संख्या (क्रमांक 30) दि. 14-03-2018 (श्री कमलेश्वर पटेल, श्री सुन्दरलाल तिवारी, श्री रामनिवास रावत)	(1) इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय आवास योजना अथवा पूर्व में प्रचलित अन्य योजनाओं अंतर्गत आवासों की शेष राशि प्रदान कर शेष अधूरे आवास पूरा किया जाना। (2) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955 अंतर्गत बेरोजगार निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने व बीमा कराने के प्रावधानों का परीक्षण कराया जाना।	(1) इसके बारे में हम लोग लगातार चिंतित हैं और उनके पूरे आवास कर दिये जायेंगे। (2) जानकारी ले लूंगा और जो कुछ भी उचित होगा मैं उसके बारे में निर्देशित कर दूंगा। (3) हम परीक्षण करा लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

परिवहन विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
277	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.760) दि. 14-03-2018 (श्री अजय सिंह)	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना द्वारा ओव्हरलोड माल लेकर संचालित होने वाले वाहनों के मालिकों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
278	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.1360) दि. 14-03-2018 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	जिला छतरपुर के पटवारी हल्का बरकुआं (पलौठाहार) में शासकीय भूमि खसरा नंबर 228 में बने फर्जी पट्टों की अतिशीघ्र जांच कराकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) हम इसकी जांच करा लेंगे और कोई गड़बड़ होगी तो उसको ठीक करेंगे। (2) इस प्रश्न से यह उद्भूत ही नहीं होता है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा।		
279	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.1483) दि. 14-03-2018 (श्री नथनशाह कवरेती)	म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के नियम 815 में शिथिलता प्रदान किए जाने के प्रस्ताव अनुसार विचार कर निर्णय किया जाना।	(1) इसको देखते हैं, इसके दोनों ही पक्ष हैं और इसीलिये यह गंभीर विषय है इस पर विचार जरूर कर लेंगे। (2) सभी पक्षों पर विचार करके वह निर्णय करेंगे।		
280	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.3606) दि. 14-03-2018 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	जिला इंदौर में तहसीलदारों व राजस्व निरीक्षकों द्वारा जमीनों के किए गए गलत नामांतरण से पीड़ित पक्षकारों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया जाना।	पीड़ित पक्ष की बात इस प्रश्न में नहीं थी वह दिखवा लेंगे इससे संबंधित निर्णय होना है तो वह करा देंगे।		
281	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.2006) दि. 14-03-2018 (श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े))	जिला धार में लंबित नामांतरण के विवादित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	जो प्रकरण लंबित हैं, विवादित के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं कि दो माह के अंदर इन सारे प्रकरणों पर तेजी से सुनवाई करके निपटारा किया जाए।		
282	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.2437) दि. 14-03-2018 (श्री घनश्याम पिरोनियों)	जिला दतिया के राजस्व विभाग में पदस्थ श्री कन्हैया लाल साहू सहायक ग्रेड-3 के विरुद्ध प्राप्त शिकायती आवेदनों की जांच एवं कार्यवाही।	शिकायती आवेदनों पर जांच कार्यवाही प्रचलित है।		
283	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.2619) दि. 14-03-2018 (पं. रमेश दुबे)	इटारसी एवं होशंगाबाद नगर में स्थित नजूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण संबंधी लंबित मामलों की जांच एवं कार्यवाही।	(1) इटारसी में स्थित नजूल भूमि के वर्तमान में 671 पट्टे का नवीनीकरण किया जाना है जिसमें से 147 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) लंबित प्रकरणों में नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
284	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.114 (प्रश्न क्रं.3386) दि. 14-03-2018 (श्री रामनिवास रावत)	प्रदेश में वर्ष 2017-18 में सूखे के कारण नष्ट हुई फसलों की राहत राशि का वितरण किया जाना ।	राहत राशि वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।		
285	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.3688) दि. 14-03-2018 (डॉ. कैलाश जाटव)	जिला नरसिंहपुर के विधान सभा क्षेत्र गोटगांव में राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना ।	परीक्षाणाधीन है।		
286	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.154 (प्रश्न क्रं.3960) दि. 14-03-2018 (श्री प्रताप सिंह)	भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 यथा संशोधित 2007 के अंतर्गत नियम बनाया जाना ।	शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 यथा संशोधित 2007 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।		
287	अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.2173) दि. 14-03-2018 (श्री गोविन्द सिंह पटेल)	म.प्र.शासन की नीति अनुसार प्राकृतिक आपदा अथवा जहरीले कीट के काटने से मृत्यु होने पर राजस्व पुस्तक पत्रक अनुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु जिला नरसिंहपुर में प्राप्त नवीन प्रकरणों की जांच की जाकर निराकरण किया जाना ।	5 नवीन लंबित प्रकरणों में जाँच प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर समय-सीमा में निराकरण किया जावेगा।		
288	अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.3075) दि. 14-03-2018 (श्री नीलेश अवस्थी)	जिला जबलपुर के विकासखण्ड जबलपुर की शालाओं से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाना ।	जबलपुर विकासखण्ड की शालाओं में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है।		
289	अतारांकित प्रश्न सं.151 (प्रश्न क्रं.3776) दि. 14-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला रीवा की तहसील मऊगंज के शासकीय तालाब एवं झीलों पर से किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना ।	प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आम जनता ग्राम पहाड़ी धनीराम एवं सरपंच ग्राम पंचायत हटवा के द्वारा शासकीय तालाब एवं भीठे पर से अतिक्रमणकर्ताओं को हटाये जाने हेतु नायब तहसीलदार वृत्त देवतालाब के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 14-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
290	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.2276) दि. 14-03-2018 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	(1) जिला मुरैना में हेण्डपम्प सूख जाने के कारण पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना । (2) विधान सभा क्षेत्र दिमनी में बंद व खराब हेण्डपंप सुधरवाकर पानी की कमी न होने देना । (3) विधान सभा क्षेत्र दिमनी में हेण्डपंप लगाए जाने में हुए भेदभाव के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) हम अतिशीघ्र व्यवस्था करवा देंगे । (2) इनके क्षेत्र में जो हैंडपंप बंद है, खराब हैं उनको हम सुरधरवा देंगे और पानी की कमी नहीं होने देंगे । (3) जांच करवा लेंगे, यदि अधिकारी दोषी होंगे तो निश्चित कार्यवाही होगी ।		
291	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.3881) दि. 14-03-2018 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	जिला मुरैना के विधान सभा क्षेत्र सुमावली में भू-जल उपलब्धता की जांच करवाकर पानी की उपलब्धता अनुसार हेण्डपंप खनन कराया जाना ।	जहां कहीं जांच कराकर पानी उपलब्ध होगा, वहां हम हैंडपंप खनन करवा देंगे ।		
292	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.117 (प्रश्न क्रं.3513) दि. 14-03-2018 (श्री अमर सिंह यादव)	जिला राजगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुपयोगी शासकीय वाहनों की नीलामी की जाना ।	सभी वाहन अनुपयोगी हैं, उनके नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
293	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.120 (प्रश्न क्रं.3529) दि. 14-03-2018 (श्री महेश राय)	विधान सभा क्षेत्र बीना के ग्राम खिमलासा एवं मंडीबामोरा की नल-जल योजना के नवीनीकरण अथवा नवीन नल-जल योजना स्वीकृत करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाया जाना ।	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
294	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.152 (प्रश्न क्रं.3954) दि. 14-03-2018 (श्रीमती अनीता नायक)	जिला टीकमगढ़ में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जल प्रदाय हेतु स्रोत चयन में लापरवाही बरतने की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	जी हाँ। विस्तृत जाँच के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। जाँच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
295	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.328) दि. 14-03-2018 (श्री कुँवरजी कोठार)	मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 में नवीन हेण्डपंप/ट्यूबवेल लगाने हेतु जिलावार लक्ष्यों का निर्धारण व स्वीकृति की कार्यवाही किया जाना ।	वर्ष 2018-19 हेतु जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण एवं स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।		
296	अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.467) दि. 14-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय)	विधान सभा क्षेत्र श्योपुर के ग्राम इछनाखेड़ली में नल-जल योजना स्वीकृत कर निर्माण कराए जाने हेतु माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर विभाग द्वारा परीक्षण कर कार्यवाही की जाना।	विभागीय कार्यवाही परीक्षणाधीन है ।		
297	अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.468) दि. 14-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय)	विधान सभा श्योपुर के ग्राम नागदा, ननावद, धीरोली, मकड़ावदा, बागल्दा, हासिलपुर, लुहाड़, उतनवाड़, मयापुर, सोंठवा में नल-जल योजना स्वीकृत कर कार्यवाही की जाना ।	ग्राम उतनवाड़ा, सोंठवा, की योजनाएं प्रमुख अभियंता कार्यालय में तथा धीरोली, मायापुर एवं लुहाड़ की योजनाएं मुख्य अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। शेष ग्राम नागदा, मकड़ावदा, बागल्दा एवं हासिलपुर की डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		